[This question paper contains 6 printed pages.]

6378 *Your Roll No.* ....

LL.B./VI Term **A**

Paper LB–6041 : INTERPRETATION OF STATUTES

Time : 3 Hours *Maximum Marks : 100*

(Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.)

Note :– Answers may be written either in English or in Hindi; but the same medium should be used throughout the paper.

टिप्पणी :– इस प्रश्नपत्र का उत्तर अंग्रेज़ी या हिन्दी किसी एक भाषा में दीजिए; लेकिन सभी उत्तरों का माध्यम एक ही होना चाहिए।

Answer **Five** *questions including question no.* **1** *which is compulsory.* **All** *questions carry equal marks.*

अनिवार्य प्रश्न संख्या **1** *सहित कुल* **पाँच** *प्रश्नों के उत्तर लिखिए।* **सभी** *प्रश्नों के अंक समान हैं।*

1. Attempt briefly any **four** of the following : (20)

   (a) Principle of *Noscitur-a-sociis*

   (b) Effect of repeal of a statute in the light of section 6 of the General Clauses Act, 1897

P.T.O.

(c) The function of the court is to interpret the law and not to legislate

(d) Statute must be read as a whole

(e) Words of common usage are to be understood in their popular sense

निम्नलिखित में से किन्हीं **चार** के उत्तर संक्षेप में लिखिए :

(क) "साहचर्येण ज्ञायते" का सिद्धान्त।

(ख) साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 को ध्यान में रखते हुए कानून के निरसन का परिणाम।

(ग) न्यायालय का कार्य विधि का निर्वचन करना है, विधायन करना नहीं है।

(घ) कानून का पूर्णरूपेण पठन किया जाना जरूरी है।

(ङ) सामान्य प्रथागत शब्दों को उनके लोकप्रचलित अर्थ में समझना होता है।

2. "A statute is not passed in vacuum but in a frame work of circumstances so as to give a remedy for a known state of affairs. To arrive at its true meaning one should know the circumstances with reference to which the words were used and what was the object appearing from those circumstances which Parliament had in view."

Make a critical appraisal of the above in the light of Heydon's rule as applied to the interpretation of statutes. (20)

"कोई कानून शून्य में नहीं बल्कि परिस्थितियों की विरचना में पारित किया जाता है ताकि ज्ञात हालात हेतु उपचार प्रदान किया जाए। इसके सही अर्थ को समझने के लिए हमें उन परिस्थितियों को जानना चाहिए जिनके सन्दर्भ में शब्दों का प्रयोग किया गया था उन परिस्थितियों से क्या उद्देश्य झलक रहा था जोकि संसद द्वारा दृष्टिगत किया गया था।" जैसाकि कानूनों के निर्वचन में लागू किया गया था, हीडन के नियम को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त का समीक्षात्मक मूल्यांकन कीजिए।

3. Discuss and illustrate the Golden Rule as applied to the interpretation of statutes. How far is this rule different from the Literal Rule? (20)

कानूनों के निर्वचन में यथा अनुप्रयोजित स्वर्णिम नियम का सोदाहरण विवेचन कीजिए। यह नियम अक्षरशः नियम से कहां तक भिन्न है?

4. "The rule of construction is well settled that when there are in an enactment two provisions which cannot be reconciled with each other, they should be so constructed that, if possible, effect should be given to both. This is what is known as the rule of harmonious construction." Discuss the important aspects of this rule with help of decided cases that you know. (20)

अर्थान्वयन का यह नियम सुस्थापित हो चुका है कि जब किसी अधिनियम में दो ऐसे उपबन्ध हों जिनका एक दूसरे में समायोजन नहीं हो सकता है तब उनका इस प्रकार अर्थान्वयन होना चाहिए कि यदि संभव हो तो दोनों को ही प्रभावी बना दिया जाए। यह वही है जिसे सामंजस्यपूर्ण अर्थान्वयन का नियम कहा जाता है।" अपनी जानकारी के विनिश्चित केसों की सहायता से इस नियम के प्रमुख पक्षों का विवेचन कीजिए।

5. Bring out the distinction between penal and remedial statutes and the rules of interpretation applicable to them. Discuss the current judicial trend in the interpretation of penal statutes. (20)

दांडिक और उपचारी कानूनों में तथा उन पर अनुप्रयोज्य निर्वचन के नियमों के बीच भेद को स्पष्ट कीजिए। दांडिक कानूनों के निर्वचन में विद्यमान न्यायिक प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए।

6. The principle of *ejusdem generis* has to be applied with care and caution. It is not an inviolable rule of law, but only permissible inference in the absence of an indication to the contrary, and where the context and object of the enactment do not require restricted meaning to be attached to the words of general import, it becomes the duty of the courts to give those words their plain and ordinary meaning.

Comment critically. (20)

उसी किस्म या प्रकार का सिद्धान्त सतर्कता और सावधानी के साथ लागू करना होता है। यह विधि का अनतिक्रमणीय नियम नहीं है किन्तु प्रतिकूल के प्रति संकेत के अभाव में केवल एक अनुमत अनुमान है और जब अधिनियम के प्रसंग तथा उद्देश्य को सामान्य अभिप्राय के शब्दों को प्रतिबंधित अर्थ प्रदान किए जाने की आवश्यकता नहीं है तब यह न्यायालयों का कर्त्तव्य बन जाता है कि वे उन शब्दों को उनके सरल और साधारण अर्थ प्रदान करें।

समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए।

Write notes on the following :

(a) Rule of Purposive Construction

(b) Importance of maxim *ut res magis valeat quam pereat* in the interpretation of statutes. (20)

निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए :

(क) प्रयोजनमूलक अर्थान्वयन का नियम

(ख) कानूनों के निर्वचन में इस सूत्र का महत्त्व – *अमान्य से मान्य करना अच्छा है।*

What are 'internal' and 'external' aids to the interpretation of statutes ? Assess the importance of any **two** of the following in the interpretation of statutes :

(a) Long Title

(b) Proviso

(c) Parliamentary History

(d) Explanation (20)

कानूनों के निर्वचन में बाह्य तथा आंतरिक सहायक सामग्री क्या है ? कानूनों के निर्वचन में निम्नलिखित में से किन्हीं दो के महत्त्व का मूल्यांकन कीजिए :

(क) दीर्घ शीर्षक

(ख) परन्तुक

(ग) संसदीय इतिहास

(घ) स्पष्टीकरण